राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 33/2021 (आ0नि0 प्रार्थना पत्र)

1. लोकेश पुत्र शिवनन्दन पुरोहित निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र नन्दलाल हजूरी निवासी बिजौलिया
2. राजेन्द्र पुत्र सत्यनारायण हजूरी निवासी बिजौलिया
3. जगदीश पुत्र सत्यनारायण हजूरी निवासी बिजौलिया
4. मनोज पुत्र सत्यनारायण हजूरी निवासी बिजौलिया
5. भंवरीदेवी पुत्री सत्यनारायण हजूरी निवासी बिजौलिया
6. गंगा पुत्री सत्यनारायण हजूरी निवासी बिजौलिया
7. अध्यक्ष, कृषि भूमि आवंटन समिति, पदेन उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970

उपस्थित —

1. श्री राकेश चौहान अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.04.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि आवंटी मोहनीबाई पत्नी सत्यनारायण हजूरी निवासी बिजौलिया द्वारा मौजा रामपुरिया प.ह. लक्ष्मीखेडा स्थित आराजी खसरा नं0 39 रकबा 1 बीघा 11 बीस्वा, खसरा न0 40 रकबा 5 बीघा 7 बीस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 13 बीस्वा में स्वयं को भूमिहीन बताकर कृषि

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 से 05 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि मोहनी बाई कृषक नहीं होकर गृहणी थी। जिसका अंकन पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में की गई थी। अतः आवंटन समिति द्वारा किया गया आवंटन अवैध एवं नियम विरूद्ध है। मोहनी बाई ने आराजी खसरा नं 38 मौजा रामपुरिया में भूमि आवंटन हेतु कोई आवंटन नहीं किया था एवं न ही खसरा न. 38 आवंटन हेतु भूमि उपलब्धता बाबत घोषणा सम्मिलित थी। खसरा न. 38 में 3 बीघा 6 बीस्वा की भूमि आवंटन दिनांक तक रिक्त नहीं थी, किन्तु आवंटन समिति ने उक्त भूमि को रिक्त मानकर मोहनी बाई को आवंटन कर दिया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक तक उक्त नम्बर की भूमि पर आवंटी मोहनीबाई अथवा मोहनी बाई की मृत्यु पश्चात् वारिसान विपक्षी 1 से 6 तक का कब्जा नही रहा है। इकरारनामा व दखलनामा आवंटन पत्रावली में संलग्न किया गया वह फर्जी एवं कूटरचित है क्योंकि मोहनबाई के इन प्रपत्रों पर निशानी दोहरी व तीसरी बार लगाई गई, उक्त प्रपत्रों पर स्याई के धब्बे डालकर मोहनीबाई की निशानी बतायी गयी है। आवंटन हेतु मोहनी बाई ने कोई आवेदन नहीं किया। आवेदन पर हो रखी निशानी किसी पुरूष द्वारा की गई, क्योंकि इकरारनामा व दखलनामा पर हो रखी निशानियों से इसका कोई तालमेल नहीं है। निवेदन है कि मौजा रामपुरिया प0ह0 लक्ष्मीखेडा वर्तमान तहसील बिजौलिया स्थित खसरा न0 38 व 39 किता 2 रकबा 0.7851 हैक्टेयर का मोहनी बाई पत्नी सत्यनारायण खजूरी को हुआ आवंटन दिनांक 12.10.1989 खारिज फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 01 से 05 ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये बताया कि, आवंटन नियमों के अनुरूप ही मोहनी बाई को मौजा रामपुरिया में आराजी सं 39 व 40 रकबा 6 बीघा 13 बीस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 12/10/1989 का किया गया है, जो विपक्षी संख्या 7 द्वारा नियमानुसार होकर उनके समक्ष पेश करने पर आवेदन का आवंटन स्वीकार किया जाकर आवंटन किया गया, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। आवंटी मोहनी बाई के सद्भाविक कृषक होने और कृषि से जुडे व्यवसाय से संबंधित होने

से नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटी को उक्त आराजियात तथा आवंटित भूमि का आवंटन किए जाने योग्य मानते हुए आवंटन किया गया जो किसी भी प्रकार से अवैध नहीं है। आराजी संख्या 38 का आवंटन भूमि की उपलब्धता व कृषि योग्य होने के आधार पर आवंटन समिति द्वारा किया गया एवं आवेदनपत्र में खसरा सं0 38 के बाबत् आवंटन के बाबत् आवंटन का प्रार्थना पत्र नहीं किया हो, तब भी उससे आवंटन आदेश पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। विशेषकर उक्त भूमि को आवंटन हुए करीब 32 वर्ष हो चुके हैं और दिनांक 10/12/2020 को उक्त आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार आवंटी को प्रदत्त किए जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में अब आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। आवंटन के समय उक्त आराजी पर अन्य व्यक्तियों का कोई कब्जा नहीं था तथा अतिक्रमियों को बेदखल कर दिए जाने के उपरान्त आवंटन किए जाने के प्रावधान है। तथाकथित अतिक्रमण से आवंटित की जाने वाली भूमि अनऑक्युपाईड भूमि की परिभाषा में आती है। आवंटन के बाद से ही आवंटी और उनके परिवार का सतत् कब्जा चला आ रहा है, जिसके आधार पर दिनांक 10–12–2020 को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। आवंटी मोहनी बाई को 1 बीघा भूमि होने की टिपण्णी पटवार हल्का ने कर दी थी, अतः इस स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है कि उक्त भूमि किस राजस्व ग्राम में स्थित है। केवल यह अंकन ही पर्याप्त है कि आवंटी भूमिहीन होकर आवंटन की पात्रता रखती है। आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया इकरारनामा, दखलनामा का नियमानुसार निष्पादन हुआ है एवं इन प्रपत्रों पर निशानी मोहन बाई की ही है। तहसील कार्यालय बिजौलिया द्वारा दिनांक 10/12/2020 को खातेदारी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, जिससे यह भी स्पष्ट है कि आवंटन शर्तों की पालना हुई है और आवंटन नियमानुसार हुआ है, तभी खातेदारी अधिकारी आवंटी को प्रदान किए गए है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से खारिज किया जावे।

अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली की सत्यापित प्रति के परीक्षण से जाहिर आया कि प्रश्नगत भूमि का आवंटन पटवार हल्का एवं भू.अ.निरी. की रिपोर्ट के अनुसार, आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर से दिनांक 12.10.1989 को विधिवत् तौर पर आवंटन किया जाना प्रकट होता

हैं, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं। पटवारी हल्का द्वारा उक्त आवंटित भूमि दिनांक 12.10.89 को आवंटी को सुपुर्द की जाना आवंटन पत्रावली की सत्यापित प्रति से प्रकट होता हैं। जमाबंदी 2074–2077 अनुसार उक्त आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार आवंटी को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे में इस प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के प्रावधान प्रभावी नही होते हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि विपक्षी संख्या 01 आवंटी द्वारा आवंटन नियमों व शर्तों की पालना नही की गयी, परन्तु प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया, जिससे जाहिर हो कि विपक्षी आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी हो, एवं न ही प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रामाणिक दस्तावेज पत्रावली पर पेश किया, जिससे जाहिर हो कि विपक्षी आवंटी को मिस–रिप्रजेन्टेशन या फ्रॉड तरीके से प्रश्नगत आराजी का आवंटन, आवंटन कमेटी द्वारा किया गया हो।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) सिद्ध नही होने से तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन व तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अस्वीकार किया जाता हैं। विपक्षी आवंटी को दिनांक 12.10.1989 को ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया की आराजी संख्या 38 व 39 रकबा 0.7851 हैक्ट. भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा